


उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या- 246/ix-1/2023-01(13)/2022
देहरादून: दिनांक 03 मार्च, 2023

अधिसूचना संख्या-245/ix-1/2023-01(13)/2022, दिनांक 03 मार्च, 2023 द्वारा प्रख्यापित अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली, 2023 की अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त।


(अरविन्द सिंह हयाँकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-245/ix-1/2023-01(13)/2022
देहरादून: दिनांक 03 मार्च, 2023
अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 93, धारा 95 एवं धारा 96 के अधीन प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) से सम्बन्धी अनुज्ञप्ति एवं अन्य मामलों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली, 2023 है। (2) यह नियमावली, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषा	2	(1) विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस नियमावली में, (क) "अभिकर्ता/प्रचारक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस रूप में सार्वजनिक सेवायानों के स्वामी द्वारा उनकी ओर से नियुक्त किया गया हो तथा जो ऐसे यान द्वारा यात्रा करने के लिये ग्राहकों को इकट्ठा करने या टिकट का विक्रय करने में लगा हो; (ख) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत इस नियमावली के अधीन जारी अनुज्ञप्ति से है; (ग) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा सम्भाग हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है; (घ) "ट्रेवल एजेंसी", किसी व्यक्ति, कम्पनी अथवा फर्म अभिप्रेत है, जिसके पास अपने वाहन हो या जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन पट्टे पर लिये हों तथा जो सड़क यात्रा की सेवाओं की व्यवस्था करती हो; (ङ) "टूर ऑपरेटर", व्यक्ति या कम्पनी जिसके पास अपने निजी वाहन हो या जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन पट्टे (लीज) पर लिये हो, जो परिवहन, ठहरने का स्थान, दृश्यावलोकन,

		<p>मनोरंजन आदि और उससे आनुषांगिक संवाओं की व्यवस्था करने का अभिप्रेत है;</p> <p>(च) प्रपत्र टी0आर0 से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;</p> <p>(2) इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों में वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित, 2019), केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में दिये गये हैं।</p>
अभिकर्ता हेतु अनुज्ञप्ति की आवश्यकता	3	कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के स्वामी के अभिकर्ता/प्रचारक या कोई ट्रेवलिंग एजेंट या टूर आपरेटर के रूप में कार्य नहीं करेगा और कोई यान का स्वामी किसी व्यक्ति को इस प्रकार नियोजित नहीं करेगा, जब तक कि उसने सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण से अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ली हो।
अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता	4	किसी अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति जारी होने या नवीनीकरण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और केवल उसी क्षेत्र या सम्भाग में प्रभावी होगी, जिसमें वह जारी या नवीकृत की गई हो।
अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन	5	<p>(1) कोई व्यक्ति, जो अभिकर्ता/प्रचारक अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, प्रपत्र टी0आर0-1 में लिखित रूप में अथवा ऑनलाईन अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।</p> <p>(2) आवेदन के साथ नियम-22 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।</p> <p>(3) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न अथवा अपलोड किये जायेंगे:-</p> <p>(क) वाहनों के पंजीयन एवं परमिट की प्रति।</p> <p>(ख) वाहन लीज पर लिये जाने की दशा में करार की प्रति।</p> <p>(ग) आवेदक व्यक्ति होने की दशा में पहचान एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।</p> <p>(घ) आवेदक कम्पनी या फर्म होने की दशा में पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।</p> <p>(ङ) कार्यालय का पता एवं मानचित्र की स्वप्रमाणित प्रति।</p> <p>(च) कार्यालय किराये पर होने की दशा में करार की प्रति।</p>
आवेदन का सन्निरीक्षण	6	<p>नियम 5 के अधीन दिए गए आवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा:-</p> <p>(क) आवेदक कोई ट्रेवल एजेंसी है, जो किसी व्यक्ति, कम्पनी या फर्म द्वारा संचालित है, जिसके पास अपने न्यूनतम पांच वाहन हैं या जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये पांच वाहन पट्टे पर लिये हैं तथा सड़क मार्ग की सेवाओं की व्यवस्था करती है;</p> <p>(ख) आवेदक कोई टूर आपरेटर है, जिसका संचालन व्यक्ति, कम्पनी या फर्म द्वारा किया जा रहा है, जिसके पास अपने निजी पांच वाहन हैं</p>

		<p>या जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये पांच वाहन पट्टे (लीज) पर लिये हैं तथा जो परिवहन, ठहरने का स्थान, दृश्यावलोकन, मनोरंजन आदि और उससे आनुषांगिक सेवाओं की व्यवस्था करती है;</p> <p>(ग) आवेदक एक अच्छा नैतिक चरित्र रखता है और यात्री परिवहन व्यापार की पूरी जानकारी रखता है,</p> <p>(घ) मुख्य कार्यालय या आवेदक का शाखा कार्यालय या तो आवेदक के स्वत्वाधीन है या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया है या उसके नाम में भाड़े पर लिया गया है और यह स्वागत कक्ष, प्रशासनिक अनुभाग, लाकर सुविधाओं के साथ अमानती सामान कक्ष, पीने का पानी, शौचालय एवं सम्यक पार्किंग स्थल मोटर वाहनों के लिए रखता है,</p> <p>(ङ) आवेदक अपने वाहनों के अनुरक्षण और मरम्मत, आवासन हेतु आवश्यक सुविधायें रखता है,</p> <p>(च) आवेदक कम से कम एक दूरभाष रखता है जिस पर दिन-रात कॉल की जा सकती है,</p> <p>(छ) आवेदक के वित्तीय संसाधन मोटरयान की सतत अनुरक्षा और स्थापना का सक्षम प्रबंधन प्रदान करने हेतु पर्याप्त है।</p>
अभिकर्ता की आयु	7	अठारह वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का धारक नहीं होगा।
प्रतिभूति एवं प्रतिभूति का समपहरण	8	<p>(1) अभिकर्ता/प्रचारक द्वारा नियम-12 में उल्लिखित शर्तों का समुचित पालन सुनिश्चित करने के लिये आवेदक अनुज्ञप्ति दिये जाने के समय प्रपत्र टी0आर-2 में नियम-22 में विनिर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक से जारी प्रतिभूति गारण्टी के रूप में जमा करेगा, जिसे मान्यता की अवधि तक बनाये रखना होगा।</p> <p>(2) अभिकर्ता/प्रचारक द्वारा जमा प्रतिभूति यदि जब्त न की गयी हो तो अनुज्ञप्ति के समाप्त होने पर या उससे पूर्व अभिकर्ता/प्रचारक द्वारा स्वेच्छा से अनुज्ञप्ति समाप्त होने से पूर्व व्यवसाय बन्द किये जाने पर वापस कर दी जायेगी।</p> <p>(3) अनुज्ञप्ति धारी के विरुद्ध किसी अन्य कार्यवाही किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी, स्वविवेक से लिखित आदेश द्वारा पूर्णरूप या आंशिक रूप से प्रतिभूति को समपहत कर सकता है;</p> <p>परन्तु यह कि प्रतिभूति को समपहत करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे समपहरण के कारणों को अभिलिखित करेगा।</p>
अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना	9	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नियम-6 में उल्लिखित पात्रता तथा मानदण्डों के आधार पर समुचित सत्यापन के पश्चात प्रपत्र टी0आर-3 पर अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

<p>अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण एवं द्वितीय प्रति हेतु आवेदन</p>	<p>10</p>	<p>(1) अभिकर्ता/प्रचारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए प्रपत्र टी0आर-4 में नियम-22 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञप्ति के साथ लिखित रूप में अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा अभिकर्ता अनुज्ञप्ति निर्गत की गई हो।</p> <p>(2) यदि किसी समय मूल अनुज्ञप्ति खो जाय या नष्ट हो जाय तो आवश्यक छानबीन के बाद अनुज्ञप्तिधारी दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये प्रपत्र टी0आर0-5 पर लिखित रूप से अथवा ऑनलाईन आवेदन करेगा जिसके साथ नियम-22 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस देय होगी।</p> <p>(3) मूल अनुज्ञप्ति खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में जारी की जाने वाली द्वितीय प्रति प्रपत्र टी0आर0-3 पर जारी की जायगी, जिस पर लाल स्याही से द्वितीय प्रति लिखा होगा।</p>
<p>अनुज्ञप्ति प्रदर्शित किया जाना</p>	<p>11</p>	<p>(1) प्रत्येक अभिकर्ता/प्रचारक ड्यूटी के समय अनुज्ञप्ति को साथ रखेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(2) अभिकर्ता फर्म की दशा में अनुज्ञप्ति कार्यस्थल में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत की जायेगी।</p>
<p>अनुज्ञप्ति धारक के पते में परिवर्तन इत्यादि</p>	<p>12</p>	<p>इस नियमावली के अन्तर्गत जारी अनुज्ञप्ति के पते में कोई परिवर्तन करने के लिये आवेदन प्रपत्र टी0आर-6 में किया जायेगा और उसके साथ पते का साक्ष्य तथा नियम-22 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस देय होगी।</p>
<p>अनुज्ञप्ति धारक द्वारा पालन किए जाने हेतु सामान्य शर्तें</p>	<p>13</p>	<p>अभिकर्ता/प्रचारक अनुज्ञप्ति की शर्तें:</p> <p>(1) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे मोटरयान से जो परमिट से आच्छादित न हो (अधिनियम की धारा-66(3) के अधीन परमिट से छूट वाहनों को छोड़कर) सम्बन्ध नहीं रखेगा/रखेगी;</p> <p>(2) अनुज्ञप्तिधारी सवारियों से शिष्ट एवं शान्त तरीके से व्यवहार करेगा;</p> <p>(3) अनुज्ञप्तिधारी सवारियों/ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये यथोचित स्टाफ सहित पूर्ण फर्नीचरयुक्त कार्यालय रखेगा और प्रपत्र टी0आर0-7 में ट्रेवल एजेन्सी या टूर आपरेटर की दशा में पर्यटक का नाम, पता लिये गये किराये, यात्रा एवं उससे सम्बन्धित ठेका गाड़ी की विशिष्टताओं का अभिलेख रखेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसका ब्यौरा देगा,</p> <p>(4) अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यक्ति को न तो अनुज्ञप्ति देगा और न ही उसको हस्तान्तरित करेगा,</p> <p>(5) ट्रेवल एजेन्सी या टूर आपरेटर के मामले में अनुज्ञप्तिधारी किसी पूर्ण</p>

		<p>कालिक सदस्य, जो परिवहन व ठहरने की सुविधाओं और यात्रा से सम्बन्धित अन्य सामान्य सही और अद्यतन जानकारियां देने की स्थिति में हो, के प्रभार में एक कार्यालय रखेगा,</p> <p>(6) कोई भी ऐसा अभिकर्ता या प्रचारक, जिसे अनुज्ञप्ति दी गयी है, किसी समाचार पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकृत निदेशिका या अन्य प्रकाशन में तब तक विज्ञापित नहीं करेगा, जब तक की ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकृत निदेशिका या अन्य प्रकाशन में आने वाले ऐसे विज्ञापन में अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्ति के अवसान की तिथि और अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी की विशिष्टियां न दी गयी हों,</p> <p>(7) अनुज्ञप्तिधारी शिकायत पुस्तिका रखेगा जिसे अनुज्ञप्ति के नवीकरण के समय प्रस्तुत किया जायेगा। किसी गम्भीर शिकायत की दशा में नवीकरण से इनकार किया जा सकता है,</p> <p>(8) अनुज्ञप्तिधारी वाहनों के लिए प्रपत्र टी0आर0-8 में विहित एक पंजिका रजिस्टर रखेगा,</p> <p>(9) अनुज्ञप्ति में उल्लिखित व्यापार के प्रधान स्थान को अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं करेगा,</p> <p>(10) परिसरों और सभी अभिलेखों और रजिस्टर को अनुरक्षित रखेगा और सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से अन्यून पद के किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान को निरीक्षण हेतु खुला रहेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जा सकेगा,</p> <p>(11) अनुज्ञापन प्राधिकारी को समय-समय पर ऐसी सूचनायें और विवरणियां प्रस्तुत करेगा, जैसी इसके द्वारा मांगी जाएगी,</p> <p>(12) अपने मुख्य कार्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में प्रमुख स्थान पर मूल रूप में जारी की गयी अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित इसकी सत्यापित प्रति का सम्प्रदर्शन करेगा,</p> <p>(13) एक सुझाव पेटिका मुख्य कार्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में अनुरक्षित करेगा और प्राप्त किये गये सुझावों, यदि कोई है, को अपनी टिप्पणियों के साथ एक माह में एक बार अनुज्ञापन प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा,</p> <p>परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी नोटिस देने के पश्चात जो 30 दिन से कम अवधि का न हो, किसी भी समय ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या नई शर्तें जोड़ सकता है।</p>
निरीक्षण	14	<p>इस नियमावली के नियम-5 में उल्लिखित अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय तथा प्रपत्रों का निरीक्षण समय-समय पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, किया जा सकेगा।</p>

अनुज्ञप्ति जारी करने से इन्कार करने की शक्ति	15	(1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, किसी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को जारी करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है। (2) उपनियम (1) के अन्तर्गत नवीकरण के इन्कार करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।
अनुज्ञप्ति का निलम्बन, निरस्तीकरण प्रतिसंहरण	16	(1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, किसी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहरित कर सकता है। (2) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहरित होने पर या उसको नवीकरण करने से इन्कार करने पर, उसे तुरन्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अभ्यर्पित किया जाएगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी।
अभिकर्ता का बैज	17	(1) अभिकर्ता ड्यूटी के समय अपने वक्ष पर बांयी ओर सहज दृष्ट स्थान पर, अंग्रेजी या हिन्दी में श्वेत सतह पर काले बड़े अक्षरों में अपने नाम पट्टिका एवं प्रपत्र टी0आर0-9 में यथा विहित मैटल बैज धारण करेगा। (2) अभिकर्ता का बैज नियम-22 में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। (3) कोई अभिकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को बैज उधार नहीं देगा या उसमें सहभागी नहीं बनाएगा और उसकी अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द कर दी जाने या उसे नवीकृत न किए जाने की दशा में वह उसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा। (4) यदि बैज नष्ट हो जाय या खो जाय, तो उक्त नियम-22 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर उस प्राधिकारी द्वारा बैज जारी किया जाएगा, जिसने उसे जारी किया था।
नियमों के उल्लंघन पर दण्ड	18	किसी व्यक्ति द्वारा इस नियमावली के किसी नियम अथवा मोटरयान अधिनियम की धारा-93 का उल्लंघन अधिनियम की धारा-193 में विहित व्यवस्था के अनुसार दण्डनीय होगा।
अपील	19	अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।
अपील की प्रक्रिया	20	(1) नियम 19 के अधीन अपील दो प्रतियों में ज्ञापन के रूप में दी जायेगी, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के बाबत आक्षेपों के आधारों का उल्लेख किया जायेगा और उसके साथ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट फीस देय होगी। (2) राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझे, समुचित आदेश पारित कर सकेगा।
अनुज्ञप्ति के	21	(1) एक सम्भाग के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन

विधिमान्यकरण के क्षेत्र का विस्तार		प्राधिकरण एवं ऐसे क्षेत्र के लिए जिसमें दो अथवा दो से अधिक की मांग सम्मिलित है, द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष आवेदन किया जायेगा। (2) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अनुज्ञप्ति सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारिता के अन्तर्गत विधिमान्य होगी एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अनुज्ञप्ति ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसा अनुज्ञप्ति में वर्णित है, विधिमान्य होगी।																								
फीस	22	इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन ऐसी फीस प्रभारित की जायेगी जैसी कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट की गई है:-																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>प्रयोजन</th> <th>धनराशि (रूपये में)</th> <th>नियम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>अनुज्ञप्ति प्रदान करना एवं नवीनीकरण</td> <td>1500.00</td> <td>5, 9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>पता परिवर्तन</td> <td>200.00</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति</td> <td>500.00</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>बैज प्रदान करना एवं द्वितीय प्रति</td> <td>500.00</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>प्रतिभूति राशि (बैंक गारण्टी/एनएससी/एफडीआर आदि)</td> <td>10000.00</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	प्रयोजन	धनराशि (रूपये में)	नियम	1	अनुज्ञप्ति प्रदान करना एवं नवीनीकरण	1500.00	5, 9	2	पता परिवर्तन	200.00	12	3	अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति	500.00	9	4	बैज प्रदान करना एवं द्वितीय प्रति	500.00	17	5	प्रतिभूति राशि (बैंक गारण्टी/एनएससी/एफडीआर आदि)	10000.00	8
क्र० सं०	प्रयोजन	धनराशि (रूपये में)	नियम																							
1	अनुज्ञप्ति प्रदान करना एवं नवीनीकरण	1500.00	5, 9																							
2	पता परिवर्तन	200.00	12																							
3	अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति	500.00	9																							
4	बैज प्रदान करना एवं द्वितीय प्रति	500.00	17																							
5	प्रतिभूति राशि (बैंक गारण्टी/एनएससी/एफडीआर आदि)	10000.00	8																							
शक्तियों का प्रत्यायोजन	23	राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अपनी कार्यवाहियों में अभिलिखित सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी शर्तों में विहित की जाए, अपने सचिव को एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में अपने सहायक परिवहन आयुक्त/अपर सचिव को, किसी संभागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में संबंधित संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेंगे।																								
नियमों के प्रवर्तन में कठिनाईयों का दूर किया जाना	24	नियमावली के प्राविधानों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, समय-समय पर जारी आदेश द्वारा कठिनाई दूर की जा सकती है, जो इस नियमावली से असंगत न हो।																								
अध्यारोही प्रभाव	25	किसी अन्य नियमावली में इस विषय पर बनाये गये नियमों में किसी नियम के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली में दी गयी व्यवस्था प्रभावी होगी।																								

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

प्रपत्र टी0आर0-1

{नियम 5 देखिए}

अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) का आवेदन पत्र

सेवा में,

सचिव,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

..... ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

1. नाम (पूरा)
2. पिता/पति का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थायी पता
6. शैक्षिक अर्हताएं
7. मैंने पूर्व में अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को धृत नहीं किया है.....
8. मैंने पूर्व में अभिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्याजिसे..... के द्वारा जारी किया गया था और यह कि वह निलम्बित, रद्द/नवीकृत नहीं की गई थी, को धृत किया है।

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हूँ और यह कि उपर्युक्त विवरण सही है। मैं स्वयं की हाल के फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करता हूँ।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र टी0आर0-2
(नियम-8 देखिये)
निष्पादन प्रत्याभूति के लिये बैंक प्रत्याभूति
(आसंजक स्टाम्प युक्त बैंक के लेटर हेड पर)

सेवा में

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

सभी व्यक्तियों को विदित हो कि इस लेख द्वारा
(बैंक का नाम और पता), जिसका पंजीकृत कार्यालय.....पर स्थित है, (जिसे
एतदपश्चात "बैंक" कहा गया है, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड जिसे एतदपश्चात "नियामक"
कहा गया है, को रू0..... के) (रू0..... मात्र) की रकम के
लिये आबद्ध है, जिसका भुगतान उक्त नियामक को वास्तविक रूप में किया जायेगा। इस
लेख द्वारा बैंक स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों और अभ्यार्पितियों को आबद्ध करता है।

चूंकि अभिकर्ता/प्रचारक क्रियान्वयन हेतु राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा.....
.....(प्रचालक का नाम) (जिसे एतदपश्चात "प्रचालक" कहा गया है)
को आशय पत्र संख्या.....दिनांक.....जारी किया जा चुका है और चूंकि
प्रचालक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में रूपये.....(रू0.....
..... मात्र) की धनराशि की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और चूंकि.....
.....(बैंक का नाम) ने प्रचालक के अनुरोध पर इस प्रत्याभूति, जो एतदपश्चात
अन्तर्विष्ट है, को बिना आपत्ति के देने के लिये सहमति दे दी है।

2- हम और भी निम्न प्रकार सहमत हैं-

- (क) यह कि एतदपूर्व अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति पर हमारे बैंक के गठन में या प्रचालक के गठन में किसी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ख) यह कि नियामक और प्रचालक के मध्य परिनिर्धारित कोई लेखा इसके अधीन हमारे विरुद्ध देय धनराशि का निर्णायक साक्ष्य होगा और उस सम्बन्ध में हमारे द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया जायेगा।
- (ग) यह कि यह प्रत्याभूति यहां पर पूर्व में दी गयी दिनांक से प्रारम्भ होती है और तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी जो तीन वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है।

(घ) यह कि इसमें प्रयुक्त शब्द "प्रचालक" और "बैंक" के अन्तर्गत जब तक कि ऐसा निर्वचन विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी भी होंगे।

3- इस बन्धन की शर्तें निम्नवत हैं-

(एक) यदि प्रचालक मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभिकर्ता/प्रचारक लाने में विफल रहता है या उससे इन्कार करता है।

(दो) यदि प्रचालक अभिकर्ता/प्रचारक के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है।

हम वचन देते हैं नियामक, देहरादून, उत्तराखण्ड को उनके प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर उपर्युक्त धनराशि तत्काल प्रदान करेंगे, जिसमें नियामक अपनी मांग सिद्ध नहीं करेगा परन्तु यह कि नियामक अपनी मांग में घटित शर्त या शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुये यह उल्लिखित करेगा कि उसके द्वारा दावाकृत धनराशि ऊपर (एक) एवं (दो) में उल्लिखित किसी एक या अधिक शर्तों के घटित होने के कारण उसे देय है।

साक्षी के हस्ताक्षर.....

बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी का नाम.....

बैंक के पदाधिकारी का नाम.....

साक्षी का पता.....

पदनाम.....

बैंक की स्टाम्प/मुहर

प्रपत्र टी0आर0-3

{नियम 9 एवं 10 देखिए}

अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) अनुज्ञप्ति

अभिकर्ता/प्रचारक अनुज्ञप्ति संख्या

1. नाम
2. पिता का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थायी पता

फोटो के लिए स्थान

5. (स्थान और मार्ग) पर
(सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये (सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) अभिकर्ता/प्रचारक (सेवा का नाम) के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञापित किया गया और उसे अभिकर्ता बैज संख्या
..... दिया गया।
यह अनुज्ञप्ति दिनांक से दिनांक
तक विधिमान्य है।

सचिव,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

.....

नवीकरण

दिनांक..... से दिनांक तक
नवीकृत।

सचिव,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रपत्र टी0आर0-4

{नियम 10 देखिए}

अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का आवेदन पत्र

सेवा में,

सचिव,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

..... ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) के रूप में कार्य करने हेतु जारी अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि समाप्त हो गयी है, जिसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

1. नाम (पूरा)
2. पिता/पति का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थायी पता
6. अनुज्ञप्ति संख्या
एवं वैधता

मैंने, पूर्व में अभिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्याजिसे..... के द्वारा जारी किया गया था और यह कि वह निलम्बित, रद्द/नवीकृत नहीं की गई थी, को धृत किया है।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र टी0आर0-5

{नियम 10 देखिए}

अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिये आवेदन

सेवा में,

सचिव,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

..... ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गयी है, जोकि नष्ट हो गयी है/खो गयी है की द्वितीय प्रति के लिये आवेदन करता हूँ।

1. नाम (पूरा)
2. पिता/पति का नाम
3. अनुज्ञप्ति संख्या
4. वैधता

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। मेरी उपरोक्त अनुज्ञप्ति नष्ट/खो गयी गयी है।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र टी0आर0-6

{नियम 12 देखिए}

अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) की अनुज्ञप्ति में पता परिवर्तन का आवेदन पत्र

सेवा में,

सचिव,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

..... ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गयी है, जिसमें मेरा पता निम्नवत् अंकित है।

1. अनुज्ञप्ति संख्या
2. नाम (पूरा)
3. पिता/पति का नाम
4. वर्तमान पता
5. स्थायी पता

मेरे द्वारा उपरोक्त उल्लिखित पते पर निवास करना, कारबार का स्थान छोड़ दिया है और मैं वर्तमान पता, जो नीचे दिया गया है—(पते का प्रमाण संलग्न है।)

1. नाम (पूरा)
2. पिता/पति का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थायी पता

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र टी० आर०-७

{नियम 13 देखिए}

अनुज्ञापति धारक द्वारा मोटरयान किराए पर देने हेतु अनुरक्षित की जाने वाली रजिस्टर

क्र०सं०	पर्यटक का नाम	पूरा पता	दूरभाष सं०	सवारियों की संख्या
1	2	3	4	5

यात्रा अवधि	यात्रा दूरी	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	अन्य विवरण
6	7	8	9	10

प्रपत्र टी0 आर0-8
{नियम 13 देखिए}
अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली रजिस्टर

क्र0सं0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	सीटिंग क्षमता	परमिट		
				संख्या	वैधता	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7

वाहन स्वामी		चालक का नाम	चालक का पता	चालक अनुज्ञप्ति	
स्वामित्वधीन	लीज पर प्राप्त			अनुज्ञप्ति सं0	वैधता
7	8	9	10	11	13

प्रपत्र टी0 आर0-9
{नियम 17 देखिए}
अभिकर्ता/प्रचारक का बैज

नाम
अनुज्ञप्ति संख्या
अभिकर्ता/प्रचारक (सेवा का नाम).....
क्षेत्र का नाम

बैज आकार में (6.5 सेन्टीमीटर × 4.0 सेन्टीमीटर) आयताकार हो।

—————

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 245 /ix-1/2023 Dehradun: Dated 03 March, 2023 for general information.

Uttarakhand Government
Transport Section – 1
No.245/ix-1/2023-01(13)2022
Dehradun: Dated 03 March, 2023

Notification

In exercise of the powers conferred by Section 93, Section 95 and Section 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 1988) for regularising License or other matter related to the Agents/Convessers (for the collection of passengers and sales of Tickets for travelling by Public Service Vehicles), the Governor is pleased to make the following rules:-

The Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles) Rules, 2023

Short Title and Commencement	1	(1) These Rules may be called the Agents/canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles) Rules 2023. (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
Definition	2	(1) In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, (a) "Agent/ Canvassers" means any person appointed as such by the owner of public service vehicles on his behalf and who is engaged in the collection of customers or sale of tickets for travel by such vehicle; (b) "License" means a license issued under these Rules. (c) "Licensing Authority" means the State Transport Authority for the whole of Uttarakhand and the Regional Transport Authority for the Region. (d) Travel agency means, any person or company or a firm who owns or has leased vehicles for a period of not less than one year, that arranges journey by road services; (e) Tour operator means, person or company or a firm having his own personal vehicle or who has taken a vehicle on lease for a period of not less than one year, to provide

		<p>transport, accommodation, sightseeing, entertainment etc. and services incidental thereto;</p> <p>(f) Form T.R. means the form appended to these rules;</p> <p>(2) Words and expressions not defined in these rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988 (as amended, 2019), the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and the Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011.</p>
Requirement of License for Agent	3	No person shall act as an agent/canvasser to the owner of such public service vehicle or any travelling agent or tour operator and owner of the vehicle shall not so employ any person, unless he has obtained the agent's license from the concerned Transport Authority.
Legal validity of License	4	An agent's license shall be valid for a period of three years from the date of issue or renewal and shall be effective only in the area or region in which it has been issued or renewed.
Application for license	5	<p>(1) Any person who desired to obtain an agent/ canvasser licence, shall apply in writing or online in Form T.R.-1 or online to the Licensing Authority.</p> <p>(2) The application shall be accompanied by the fee as specified under rule-22.</p> <p>(3) The following documents shall be attached or uploaded with the application:-</p> <p>(a) Copy of vehicle registration and permit.</p> <p>(b) Copy of agreement in case the vehicle is taken on lease.</p> <p>(c) Copy of identity and date of birth certificate in case the applicant is an individual.</p> <p>(d) Copy of registration certificate and GST certificate in case the applicant is a company or firm.</p> <p>(e) Self attested copy of office address and map.</p> <p>(f) Copy of agreement in case the office is on rent.</p>
Scrutiny of Application	6	<p>While considering the application made under rule 5, the Licensing Authority shall, inter alia, have due regard to the following:—</p> <p>(a) The applicant is a travel agency, operated by a person, company or firm, having not less than five vehicles of his own or who has taken at least five vehicles on lease for a period of not less than one year and provision of road services. does;</p> <p>(b) The applicant is a tour operator operated by a person, company or firm, who owns not less than five vehicles or who has taken at least five vehicles on lease for a period</p>

		<p>of not less than one year and which provides transportation, accommodation, sightseeing, entertainment, etc. and services incidental thereto;</p> <p>(c) The applicant is of a good moral character and has thorough knowledge of the passenger transport business,</p> <p>(d) The head office or the branch office of the applicant is either owned or taken on lease by the applicant or has been hired in his name and it consists of reception hall, administrative section, secured luggage room with locker facilities, drinking water, toilets and proper parking space for motor vehicles,</p> <p>(e) The applicant maintains the necessary facilities for the maintenance, repair and housing of his vehicles,</p> <p>(f) The applicant maintains at least one telephone on which calls can be made day and night,</p> <p>(g) The financial resources of the applicant are sufficient to provide efficient management of the continued maintenance and installation of the motor vehicle,</p>
Age of Agent	7	No person below the age of eighteen years shall be the holder of an agent license.
Security and Forfeiture of Security	8	<p>(1) In order to ensure proper compliance of the conditions mentioned in Rule-12 by the agent/ canvasser, the applicant shall, at the time of grant of licence, deposit the security specified in Rule-22 in Form T.R.-2 in the form of a bank guarantee issued by scheduled bank which shall be maintained for the period of accreditation.</p> <p>(2) The security deposited by the agent/canvasser, if not forfeited, shall be returned on the expiry of the license or before in case the agent/canvasser voluntarily ceases business before the expiry of the license.</p> <p>(3) The Licensing Authority may, at its discretion, forfeit the security in whole or in part without prejudice to any other action taken against the licensee;</p> <p>Provided that before forfeiting the security, the licensing authority shall give an opportunity of being heard to the licensee and shall record the reasons for such forfeiture.</p>
Issue of License	9	The Licensing Authority shall issue the license on Form T.R.-3 after due verification on the basis of eligibility and criteria mentioned in Rule-6.
Renewal of License and	10	(1) Application for renewal of agent/canvasser license in Form T.R.-4 alongwith fee and license as specified under

Application for duplicate		<p>Rule-22, shall be made in writing or online to the Licensing Authority by which the agents license has been issued.</p> <p>(2) If at any time the original license is lost or destroyed, the licensee shall after due scrutiny make an application in writing or online on Form T.R.-5 for obtaining a duplicate copy along with fee as specified under Rule-22.</p> <p>(3) The duplicate to be issued in case of loss or destruction of the original license, shall be issued on Form T.R.-3, on which the duplicate copy will be written in red ink.</p>
Display of License	11	<p>(1) Every agent/canvasser shall carry a license while on duty and shall produce it on demand from an officer authorized by the licensing authority.</p> <p>(2) In the case of an agent firm, the license shall be displayed at a prominent place in the workplace and shall be produced on demand by an officer authorized by the licensing authority.</p>
Change of address of license holder etc.	12	<p>An application for any change in the address of the licensee issued under these rules shall be made in Form T.R.-6 and shall be accompanied by proof of address and the appropriate fee specified in Rule-22.</p>
General conditions to be followed by the license holder	13	<p>Conditions of agent/ Canvasser license:</p> <p>(1) The licensee shall not enter into any explicit or implicit contract with any motor vehicle not covered by a permit (except vehicles exempted from permit under section 66(3) of the Act);</p> <p>(2) The license holder shall treat the passengers in a courteous and calm manner;</p> <p>(3) The licensee shall maintain a fully furnished office with suitable staff to meet the needs of the passengers/customers and in the case of a travel agency or tour operator in Form TR-7, the name of the tourist, the fare taken, the journey and the particulars of the contract carriage relating thereto. Maintain records and give details thereof to the Licensing Authority.</p> <p>(4) The licensee shall neither grant nor transfer the license to any other person.</p> <p>(5) In the case of a travel agency or tour operator, the licensee shall maintain an office under the charge of a whole time member who may be in a position to provide accurate and up-to-date general information's relating to transportation, accommodation and journey.</p>

		<p>(6) No agent or canvasser who has been granted a license shall issue an advertisement in any newspaper, book, catalog, classified directory or other publication unless, such advertisement appearing in such newspaper, book, catalog, classified directory or other publication displays the license number, the date of expiry of the license and particulars of the licensing authority.</p> <p>(7) The licensee shall maintain a complaint book which shall be produced at the time of renewal of the license. Renewal may be refused in case of serious complaint.</p> <p>(8) The licensee shall maintain a register for the vehicles as prescribed in Form TR-8,</p> <p>(9) The licensee shall not alter the principal place of business mentioned in the license, except with the permission of the licensing authority,</p> <p>(10)The licensee shall maintain the premises and all records and registers and shall at all reasonable times be open to inspection of the motor vehicle by any person not below the rank of the Licensing Authority or Assistant Regional Transport Officer as may be authorized by the Licensing Authority in this behalf,</p> <p>(11)The licensee shall provide such informations and returns from time to time as may be called for by the licensing authority,</p> <p>(12)The licensee shall display the license issued in original and attested copy thereof attested by the Licensing Authority at a prominent place in its head office and its branch offices,</p> <p>(13)The licensee shall maintain a suggestion box at the head office and at its branch offices and forward the suggestions, if any, received along with its comments to the Licensing Authority once in a month, “Provided that the Licensing Authority after giving a notice of not less than 30 days may at any time change the terms of such license or add new conditions”,</p>
Inspection	14	The office of the licensee and documents mentioned in Rule-5 of these Rules can be inspected from time to time by an officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Regional Transport Officer.
Power to refuse to issue license	15	<p>(1) The Licensing Authority may refuse to issue or renew the agent's licence, for reasons to be recorded in writing.</p> <p>(2) The licensee shall be given an opportunity of being heard</p>

		before refusing renewal under Sub-rule (1).
Suspension, Cancellation, Revocation of License	16	(1) The Licensing Authority may suspend, cancel or revoke the agent's licence, for reasons to be recorded in writing. (2) On suspension, cancellation or revocation of agent's license or refusal to renew it, the same shall be immediately surrendered to the Licensing Authority which issued the license.
Agent's Badge	17	(1) The agent shall, at the time of duty bear on his chest, at a conspicuous place on the left side, a white plate with his name in black capital letters in English or Hindi alongwith a metal badge as specified in Form T.R.-9. (2) The badge shall be issued by the Licensing Authority on payment of fee prescribed in rule-22. (3) An agent shall not lend or share the badge to any other person and shall surrender the same to the Licensing Authority in case his license is suspended, cancelled or not renewed. (4) If the badge is destroyed or lost, the badge shall be reissued by the authority which issued the same on payment of fee as specified under the said Rule-22.
Fine for violation of rules	18	Contravention of any rule of these Rules or section-93 of the Motor Vehicles Act, 1988 by any person or entity shall be punishable as per the provisions prescribed in section-193 of the Act.
Appeal	19	Any person aggrieved by any order of the Licensing Authority may appeal before the State Transport Appellate Tribunal within a period of thirty days from the date of receipt of the order.
Procedure for Appeal	20	(1) The appeal under Rule 19 shall be preferred in the form of a memorandum in duplicate, setting forth the grounds of objections to the order of the Licensing Authority and shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the State Government from time to time. (2) The State Transport Appellate Tribunal may, after giving the parties an opportunity of being heard and after making such inquiry, if any, as it may deem fit, pass appropriate orders.
Extent of the Jurisdiction of the license	21	(1) The license for one region will be applied to the concerned Regional Transport Authority and for an area comprising two or more regions to the State Transport Authority, Uttarakhand. (2) The license issued by the Regional Transport Authority shall be valid under the jurisdiction of the concerned

		Regional Transport Authority and the license issued by the State Transport Authority, Uttarakhand shall be valid for the area specified by the Authority.																								
Fees	22	Under the provisions of these Rules, such fee shall be charged as is specified in the following table :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Purpose</th> <th>Amount (in Rupees)</th> <th>Rule</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grant and renewal of License</td> <td>1500.00</td> <td>5, 9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>change of Address</td> <td>200.00</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Duplicate of license</td> <td>500.00</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Issue of badge and Duplicate</td> <td>500.00</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Security deposit (in the form of bank guarantee or NSC, FDR etc.)</td> <td>10000.00</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Purpose	Amount (in Rupees)	Rule	1	Grant and renewal of License	1500.00	5, 9	2	change of Address	200.00	12	3	Duplicate of license	500.00	9	4	Issue of badge and Duplicate	500.00	17	4	Security deposit (in the form of bank guarantee or NSC, FDR etc.)	10000.00	8
Sr. No.	Purpose	Amount (in Rupees)	Rule																							
1	Grant and renewal of License	1500.00	5, 9																							
2	change of Address	200.00	12																							
3	Duplicate of license	500.00	9																							
4	Issue of badge and Duplicate	500.00	17																							
4	Security deposit (in the form of bank guarantee or NSC, FDR etc.)	10000.00	8																							
Delegation of powers	23	A State or a Regional Transport Authority may, by general or special resolution recorded in its proceedings and subject to such conditions as may be specified in the resolution, delegate to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport Commissioner (Administration), and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the Region concerned any power conferred under these Rules.																								
Removal of difficulties in enforcement of rules	24	If any difficulty arises in the enforcement of the provisions of the Rules, the difficulty can be removed by order issued by the Transport Commissioner, Uttarakhand, from time to time, which is not inconsistent with these Rules.																								
Overriding effect	25	Notwithstanding anything to the contrary contained in the rules made on this subject in any other Rules, the provisions contained in these Rules shall have effect.																								

By Order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

Form T.R.-1
{See Rule 5}

Application form of Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles)

To,
Secretary,
State/ Regional Transport Authority
.....

In accordance with the provisions of Sub-section (1) of Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988, I, the undersigned, hereby apply for a license to act as an Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles) in the State of Uttarakhand.

1. Name (Full)
2. Father/ Husband Name
3. Age
4. Present Address
5. Permanent Address
6. Educational Qualification
7. I have not held the agent's license in the past
8. I have in the past held the Agent License No. which was issued by and that the same was not suspended, cancelled/ renewed.

I hereby declare that I am not less than 18 years of age and that the above particulars are correct. I enclose three copies of recent photographs of myself.

Date

Signature of Applicant

Form T.R.-2

{See Rule 8}

Bank guarantee for performance guarantee
(On the letter head of the bank with adhesive stamp)

To,

Transport Commissioner,
Uttarakhand,
Kulhan, Sahastradhara Road, Dehradun

To be known to all persons that by this article the
(name and address of the Bank), whose registered office is located at
....., hereinafter referred to as the "Bank", the Transport
Commissioner, Uttarakhand, hereinafter referred to as the "Regulator", shall pay
Rs. (Rsonly) which shall be actually paid to the said
regulator. By this article the Bank binds itself, its successors and prosecutors.

Letter of Intent No. dated..... has been issued by the
State / Regional Transport Authority to (name of the operator)
(hereinafter referred to as the "operator") for the implementation of the
completed agent and an amount of Rs. (Rs.....only)
that the Bank Guarantee is required to be furnished and that
..... (Name of the Bank) has, at the request of the
Operator, agreed to give this guarantee, hereinafter contained, without objection.

2- We further agree as follows –

- (a) That the guarantee hereinbefore contained shall not be affected by any change in the constitution of our bank or in the constitution of the operator.
- (b) That any account settled between the Regulator and the Operator shall be conclusive evidence of the amounts payable against us hereunder and no question shall be raised by us in this regard.
- (c) The guarantee of this commences from the date hereinbefore given and shall be in force for a period of three years which may be extended for a further period of three years.

(d) That the words "operator" and "bank" used herein shall, unless such interpretation is repugnant to the subject or context, to their respective successors as prosecutors.

3- The conditions of this bond are as follows-

(1) If the operator fails or refuses to bring the agent/ propagator within the time limit specified in the demand letter.

(2) If the operator fails to discharge his obligations under the agent/ propagator.

We undertake that the Regulator, Dehradun, Uttarakhand on receipt of their first written demand, shall forthwith provide the aforesaid amount, in which the Regulator shall not substantiate his demand but that the Regulator shall specify in his demand the condition or conditions arising out of his, the amount claimed is payable to him on account of occurrence of one or more of the conditions mentioned in (1) and (2) above.

Signature of witness Signature of the authorized officer of the Bank

Name of witness Name of the officer of the Bank

Address of witness..... Designation

Bank Stamp/ Seal

Form T.R.-3
{See Rule 9 & 10}

Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles) by public transport

Agent / canvasser license Number.....

1. Name

2. Father Name

3. Present Address

4. Permanent Address

5. in (area and location)

Licensed to act as an agent/ canvasser (name of service) for the collection of passengers and sale of tickets for travelling by public transport and is assigned an agent badge number.....

This license is valid from dated..... to dated.....

Secretary,
State/ Divisional Transport Authority

Renewal

Renewed from dated to dated.....

Secretary,
State/ Divisional Transport Authority



Form T.R.-4
{See Rule 10}

Application form for renewal of Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles)

To,
Secretary,
State/ Regional Transport Authority
.....

In accordance with the provisions of Sub-section (1) of Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988, I, the undersigned, hereby apply for renewal of license to act as an Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles) in the State of Uttarakhand.

1. Name (Full)
2. Father/ Husband Name
3. Age
4. Present Address
5. Permanent Address
6. License number and validity

I have in the past held the Agent License No. which was issued by and that the same was not suspended, cancelled/ renewed.

Date

Signature of Applicant

Form T.R.-5

{See Rule 10}

Application form for duplicate of Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles)

To,

Secretary,

State/ Regional Transport Authority

.....

Sir,

The undersigned shall act as an Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles) in the State of Uttarakhand in accordance with the provisions of Sub-section (1) of Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the State/Regional Transport Authority. I apply for a duplicate copy of the license issued, which has been destroyed/lost.

1. Name (Full)
2. Father/ Husband Name
3. License number validity
4. Validity

I, hereby declare that the above particulars are correct. My above mentioned license has been destroyed/lost.

Date

Signature of Applicant

Form T.R.-6

{See Rule 12}

Application form for address change of Agents/Canvasser (for the Collection of Passengers and Sales of Tickets for Travelling by Public Service Vehicles)

To,
Secretary,
State/ Regional Transport Authority

.....

In accordance with the provisions of Sub-section (1) of Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988, I, the undersigned, hereby issued license to act as an agent/ canvasser for the collection of passengers and sale of tickets for travelling by public transport in the State of Uttarakhand, in which my address is mentioned as below.

1. License number
2. Name (Full)
3. Father/ Husband Name
4. Present Address
5. Permanent Address

I have left my place of residence, place of business at the above mentioned address and I present address which is given below- (Proof of address is attached.)

1. Name (Full)
2. Father/ Husband Name
3. Present Address
4. Permanent Address

I, hereby declare that the above particulars are correct.

Date

Signature of Applicant

Form T.R.-7
{See Rule 13}

As per the person applied at the designated place posted by the licensee

S.No.	Tourist Name	Full Address	Telephone No.	No. of Passengers
1	2	3	4	5

Travel Duration	Travel Distance	Vehicle No.	Vehicle Type	Other information
6	7	8	9	10

Form T.R.-8
 {See Rule 13}

Register to be maintained by the license holder

S.No	Vehicle No.	Vehicle Type	Seating Capacity	Permit		
				Number	Validity	Region
1	2	3	4	5	6	7

Vehicle Owner		Drivers Name	Address of Driver	License	
Owner	Lease			License No.	Validity
8	9	10	11	12	13

Form T.R.-9
{See Rule 17}
Badge of Agent/ canvasser

Name

License number.....

Agent/ canvasser (Name of service).....

Name of Area.....

The badge should be rectangular in shape (6.5 cm x 4.0 cm)